न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः— दिव्यराज सिंह चुण्डावत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
258/2024 प्रा0 पत्र	03.06.2025	15.04.2025

उनवान

1. श्री जगदीशचन्द्र पुत्र श्री गणेशराम निवासी पोण्डरास तहसील व जिला भीलवाडा।
2. हुकमीचन्द पुत्र श्री गणेशराम निवासी पोण्डरास तहसील व जिला भीलवाडा।
3. गोपालकृष्ण पुत्र श्री जमनालाल ब्राहम्ण, निवासी पोण्डरास तहसील व जिला भीलवाडा।

—— प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री जडाव पुत्री श्री प्रभुदास पत्नी श्री गोपी बैरागी, निवासी पोण्डरास तहसील व जिला भीलवाडा।
2. धन्ना पुत्र लादू खाती, निवासी पोण्डरास तहसील व जिला भीलवाडा।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा (राज०)
4. बडौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा दांथल तहसील व जिला भीलवाडा। जरिये शाखा प्रबन्धक।

—— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :—

1—अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री पृथ्वीराज चौधरी, उपस्थित।

2—विपक्षी संख्या 01 अधिवक्ता श्री मुरली वैष्णव उपस्थित।

3— विपक्षी संख्या 02 उपस्थित।

4— विपक्षी संख्या 03 की और से पैरोकार सरकार उपस्थित।

—:: निर्णय ::—

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के स्वामित्व, आधिपत्य एव खातेदारी अधिकारों की ग्राम पोण्डरास पटवार हल्का रूपाहेली भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दांथल तहसील एंव जिला भीलवाड़ा (राज०) में खाता संख्या 49 में आराजी नम्बर 627/6 व खाता संख्या 30 में आराजी नम्बर 627/4, 627/5, 627/7 स्थित है। जो राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। उक्त वर्णित आराजीयात में आने जाने हेतु एकमात्र रास्ता जो कि गै.मु. रास्ता आराजी नम्बर 423 से होकर विपक्षी संख्या 01 की आराजी नम्बर 566, 567 की उत्तरी मेड के सहारे सहारे होकर विपक्षी संख्या 02 की आराजी नम्बर 570 की उत्तरी पूर्वी मेड के सहारे होकर आम रास्ता 569 से होकर आराजी नम्बर 627/6, 627/4, 627/5, 627/7 मे आते जाते है, जिससे प्रार्थीगण अपने बैलगाडी, संज, ट्रेक्टर आदि अपने पूर्वजो के समय से लाता ले जाता है, जो गाडी गडार रास्ता बना हुआ। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी मे आने जाने हेतु अन्य कोई सरल, सुगम रास्ता मौजूद नहीं है। उक्त रास्ते को संलग्न नजरी नक्शे मे लाल स्याही से दर्शाया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थीगण की उक्त आराजी में आने जाने का एकमात्र रास्ता व अत्यंतिक आवश्यक उक्त कदीमी रास्ता ही है, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है, लेकिन विपक्षी संख्या 01 लगायत 02 की नियत मे फितुर पैदा होने व प्रार्थी की आराजी को हड़प करने की गरज से आये दिन रास्ते में अवरोध पैदा करने लग गये। जबकि विपक्षी संख्या 01 एक लगायत 02 को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है व विपक्षी संख्या 01 एक लगायत 02 को दिनांक 20 बीस मई 2024 दो हजार चौबीस को रास्ते मे अवरोध पैदा नही करने व रास्ता दर्ज कराने हेतु कहने पर साफ तौर इंकार हो गये। इस कारण से प्रार्थीगण को यह प्रार्थनापत्र पेश करने की नौबत पेश आयी है। उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड (नक्शे) मे दर्ज नही है। उक्त रास्ता बाबत मौके से रिपोर्ट तलब फरमायी जाकर के नियमानुसार राजस्व रेकार्ड (नक्शे) मे दर्ज करने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया जा रहा है साथ ही विपक्षी संख्या 01 एक लगायत 02 को पांबद किया जावे कि उक्त रास्ते मे अवरोध पैदा नहीं करे। उपरोक्त खातेदारो से प्रार्थीगण ने आपसी सहमति के आधार पर रास्ता लेने का प्रयास किया, परन्तु हम अपने इस प्रयास मे सफल नहीं हो पाये है। जिससे उक्त प्रार्थनापत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही होने से यह प्रार्थनापत्र पेश करने की नौबत पेश आयी है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आपके माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–ए की उपधारा (1) के अधीन हमारी सरहद पोण्डरास पटवार हल्का रूपाहेली भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दाथल तहसील एंव जिला भीलवाड़ा (राज०) मे आराजी नम्बर 627/6 627/4, 627/5, 627/7 में आने जाने का एक मात्र रास्ता जो कि गै.मु. रास्ता आराजी नम्बर 423 से होकर विपक्षी संख्या 01 की आराजी नम्बर 566, 567 की उत्तरी मेड के सहारे सहारे होकर विपक्षी संख्या 02 की आराजी नम्बर 570 की उत्तरी पूर्वी मेड के सहारे होकर आम रास्ता 569 से होकर प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी नम्बर 627/6, 627/4, 627/5, 627/7 में आते जाते है, को 16 फीट चौडाई मे नया रास्ता दिलाने का आदेश प्रदान करावे एवं उक्त कायम किये गये नये रास्ते को राजस्व रेकार्ड (नक्शे) मे दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे तथा इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए हम सदैव तैयार है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र रजिस्टर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये विपक्षी संख्या 01 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया है कि प्रार्थीगण की भूमि में जाने हेतु हमारी आराजी नंबर 566 व 567 की उत्तरी मेड़ से होकर कभी नहीं रहा है और इन आराजियात के नक्शा ट्रेस को देखने से भी यह स्पष्ट होता है कि आराजी नंबर 566, 567 की उत्तरी मेड़ से होकर विपक्षी सं. 2 की आराजी नंबर 570 में प्रवेश नहीं किया जा सकता है। प्रार्थीगण मेरी इन आराजी सं. 566 व 567 से होकर बैलगाड़ी संज ट्रेक्टर आदि से कभी भी अपनी भूमि में नहीं जाते थे। हमारी इन आराजियात में कोई भी गाड़ी गड़ार रास्ता बना हुआ नहीं है। आराजी नंबर 423 को प्रार्थीगण ने गै.मु. रास्ता होना लिखा है जो सरासर गलत है बल्कि आराजी नंबर 423 गै.मु. नाली के रूप में राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। इस गै.मु. नाली में पानी भरा रहता है। प्रार्थीगण की आराजियात संख्या 627/4, 627/5, 627/6, 627/7 में जाने आने हेतु दो तरफ से रास्ते जाते हैं जिनका विस्तृत विवरण मजीदकथन में दिया जायेगा।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थनापत्र के साथ जो नजरी नक्शा पेश किया है उसकी प्रति मुझ विपक्षी को उपलब्ध नहीं करायी है। प्रार्थीगण ने सरल सुगम रास्ता मौजूद नहीं होने का उल्लेख अपने प्रार्थनापत्र की इस धारा में किया है जिसको इस प्रार्थनापत्र के विनिश्चय में मद्देनजर नहीं रखा जा सकता है बल्कि आत्यंतिक आवश्यकता का बिन्दु ही ऐसे प्रार्थनापत्र में देखना होता है। प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र निराधार होने से निरस्तनीय है। प्रार्थीगण अपने प्रार्थनापत्र में कदीमी रास्ते का आधार लेकर आये हैं जिसके बारे में धारा 251'ए 'रा.टि.ए. के तहत कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है बल्कि कदीमी रास्तों के अधिकारों के बारे में तहसीलदार या सिविल कोर्ट में ही कार्यवाही की जा सकती है। धारा 251 ए रा.टि.एक्ट में तो नया रास्ता दिलाने का ही प्रावधान है। मुझ विपक्षी सं. 1 की आराजी नंबर 567 566 में होकर प्रार्थीगण की आराजी में जाने आने का कोई आत्यंतिक आवश्यकता का रास्ता कभी नहीं रहा है। जब मेरी भूमि में कोई रास्ता है ही नहीं तो उसमें कोई रूकावट पैदा करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। विपक्षी सं. 2 प्रार्थीगण से मिला हुआ है। प्रार्थीगण की मुझे विपक्षी सं. 1 से रास्ते बाबत् कोई बातचीत कभी नहीं हुई है और न ही बातचीत करने का कोई मतलब ही है क्योंकि मेरी भूमि आराजी नंबर 566 567 के उत्तरी भाग में या अन्य किसी भाग में कोई रास्ता कभी नहीं रहा है। प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र सर्वथा मिथ्या व निराधार होने से सव्यय निरस्तनीय है। जहां तक रास्ते के संबंध में मौके की रिपोर्ट तलब करने का प्रश्न है तो यह मौका रिपोर्ट राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 में यह व्यवस्था है कि उपखण्ड अधिकारी स्वयं स्थल का निरीक्षण करेगा अथवा उस अधिकारी से निरीक्षण करायेगा जो राजस्व अभिलेख निरीक्षक से नीचे की श्रेणी का न हो और प्रभावित व्यक्तियों से आपत्तियां आमंत्रित करेगा। पक्षकारों को सुनवायी का अवसर उपलब्ध कराकर तथा और जांच के पश्चात् जैसा कि आवश्यक समझे यदि इस बात से संतुष्ट है कि आवश्यकता निश्चित रूप से आवश्यकता है तथा वह मात्र जाने के उपभोग की सुविधा के लिये नहीं है एवं अन्य खातेदार की जोत से होकर नये मार्ग के मामले में विशेषतया वैकल्पिक साधन के अभाव का मूल्यांकन साबित है, वह आवेदन की अनुमति कर सकता है। जहां तक विपक्षीगण को किसी तरह से अवरोध करने से पाबंद किये जाने का प्रश्न है ऐसा कोई अनुतोष धारा 251 (ए) रा.टि.एक्ट में नहीं दिया जा सकता है। प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र निराधार होने से निरस्तनीय है।

प्रार्थीगण द्वारा आपसी सहमति के आधार पर रास्ता लेने का प्रयास करने का प्रश्न है ऐसी सहमति मुझ विपक्षी सं. 1 से लेने का कोई आधार नहीं है क्योंकि मेरी उक्त भूमि से होकर कोई रास्ता कभी नहीं रहा है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थनापत्र की धारा सं. 2 व 3 में कदीनी रास्ता होने का उल्लेख किया है। कदीमी रास्ते के अधिकार के संबंध में कोई भी कार्यवाही तहसीलदार के समक्ष या सिविल न्यायालय के समक्ष ही पेश की जा सकती है ऐसी परिस्थिति में इस प्रार्थनापत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय आपका नहीं होने से यह प्रार्थनापत्र सव्यय निरस्तनीय है। मुझ विपक्षी की आराजी सं. 566 व 567 की उत्तरी मेड के सहारे सहारे या अन्य किसी भी भाग में होकर प्रार्थीगण की आराजी में जाने का कोई भी रास्ता नहीं रहा है और न ही हमारी भूमि कोई नया रास्ता दिलाया जा सकता है। आराजी नंबर 423 को प्रार्थीगण ने गलत रूप से गै.मु. रास्ते के रूप में अपने प्रार्थनापत्र के लिखा है जो सरासर गलत है और यह तथ्य न्यायालय को मुगालता देने के समान है क्योंकि नाली में होकर कोई आवागमन नहीं किया जा सकता है। प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र निराधार होने से निरस्तनीय है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थनापत्र की धारा सं. 2 व 3 में कदीमी रास्ता होने का उल्लेख किया है। कदीमी रास्ते के अधिकार के संबंध में कोई भी कार्यवाही तहसीलदार के समक्ष या सिविल न्यायालय के समक्ष ही पेश की जा सकती है ऐसी परिस्थिति में इस प्रार्थनापत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय आपका नहीं होने से यह प्रार्थनापत्र प्रारम्भिक स्तर पर ही सव्यय निरस्तनीय है । प्रार्थीगण की आराजी सं. 627/4 से 627/7 तक पहुंचने के लिये या आने जाने के लिये दो वैकल्पिक मार्ग अवस्थित हैं जिससे होकर वे सदैव से अपनी इस भूमि में संज, बैल ट्रेक्टर और अन्य उपकरणों सहित आते जाते रहे हैं। ये दोनों वैकल्पिक मार्ग निम्नलिखित है :– (1) वैकल्पिक रास्ता संख्या 01:– ग्राम पोण्डरास में स्थित बिलानाम आराजी नंबर 541 से हाकर आराजी संख्या 543 गै.मु. नाली के सहारे सहारे बने हुए कदीमी रास्ते से होकर फिर आराजी नंबर 612 गै.मु. नाली के सहारे सहारे बने हुए रास्ते से होकर प्रार्थीगण अपनी आराजी नं. 627/4 से 627/7 में सदैव से आ जा रहे हैं। आराजी नंबर 541 बिलानाम भूमि से होकर आराजी नं. 543 के सहारे सहारे जो कदीमी रास्ता बना हुआ है वह काफी चौड़ा है और यह रास्ता पोण्डरास से सोमसियास व अन्य गावों तक जाता है। इस रास्ते से आराजी नं. 612 गै.मु. नाली की तरफ मुड़कर इसके सहारे सहारे बने हुए चौडे रास्ते से होकर प्रार्थीगण अपनी भूमि में पहुंचते हैं । (2) वैकल्पिक रास्ता संख्या 02:– बिलानाम भूमि से होकर आराजी नंबर 583 584 के बीच की मेड़ पर होकर आराजी नंबर 601 की पश्चिमी व दक्षिणी मेड़ से होते हुए आगे रास्तेनुमा आराजी नं. 599/4 से होकर आराजी नंबर 612 गै.मु. नाली के सहारे सहारे बने हुए रास्ते तक पहुंचा जा सकता है और फिर आराजी नंबर 612 गै.मु. नाली के सहारे सहारे बने हुए रास्ते से होकर प्रार्थीगण अपनी उक्त भूमि में पहुंच सकते हैं। इस रास्ते का उपयोग भी प्रार्थीगण सदैव से करते आ रहे हैं।

इस प्रकार प्रार्थीगण की उक्त भूमि पर पहुंचने के लिये दो वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हैं जिससे प्रार्थीगण मुझ विपक्षी सं. 1 की भूमि में नये रास्ते की मांग नहीं कर सकते हैं। मुझ विपक्षी सं. 1 की आराजी नंबर 565, 566 व 567 के पश्चिम में जुड़ी हुई हमारी आराजी नंबर 571 572, 603 व 602 स्थित है जिनका हमने एक ही चक बना रखा है। अगर मेरी आराजी सं. 566 व 567 में कोई रास्ती दिलाने का प्रयास किया जाता है तो मेरे खाते की आराजियात दो भागों में विभक्त हो जायेगी और मेरी आराजियात के बीचों बीच रास्ता निकलने से हमारी भूमि में होने वाली फसलों को निरंतर पशुओं से बचाया जाना मुश्किल हो जायेगा जिससे हमको अपूरणीय क्षति होती रहेगी, ऐसी परिस्थिति में मेरी आराजी नंबर 566 व 567 के किसी भी भाग में होकर प्रार्थीगण को कोई भी रास्ता नहीं दिया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र सव्यय निरस्तनीय है । आराजी नं. 627/6 प्रार्थीगण सं. 1 व 2 के नाम पर दर्ज है जबकि आराजी नं. 627/4, 627/5 व 627/7 प्रार्थी सं. 3 गोपालकृष्ण के नाम पर दर्ज है। इन दोनों खातों में खातेदार भिन्न भिन्न हैं और उनकी भूमि भी अलग–अलग है जिससे प्रार्थी सं. 1 व 2 के साथ प्रार्थी सं. 3 को जोड़ कर संयुक्त प्रार्थनापत्र पेश नहीं किया जा सकता है जिससे मिसजोईन्डर ऑफ पार्टीज के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र निरस्त होने योग्य है। दोनों खातों में अंकित प्रार्थीगण अपनी–अपनी भूमि के लिये पृथक–पृथक रूप में धारा 251 ए रा.टि. एक्ट का आवेदन पेश करने हेतु स्वतंत्र हैं। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) रा.टि.ए. सरासर असत्य एवं आधारहीन होने से सव्यय निरस्त फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

विपक्षी संख्या 02 उपस्थित नहीं। प्रकरण में तहसीलदार भीलवाडा ने अपने पत्र क्रमांक 561 दिनांक 24.10.2024 से रास्तें का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें अंकित किया है कि ग्राम पोण्डरास के आराजी नम्बर 627/6, 627/4, 627/5, 627/7 में रास्तें हेतु मौका देखा गया। मौके अनुसार आराजी नम्बर 627/6, 627/4, 627/5, 627/7 तक आराजी नम्बर 570 तक नक्शें में रास्ता दर्ज है परन्तु उसके बाद आराजी नम्बर 421 गे0मु0रास्ता तक पहूॅचने हेतु आराजी नम्बर 566, 567 व 570 की मेड पर होकर गुजरना पडता है तथा यही रास्ता सबसे निकटतम होने से इसी रास्तें का प्रस्ताव तैयार किया गया है। उक्त आराजियात गेमुरास्ता आराजी नम्बर 421 व खातेदार के आराजियात के मध्य में स्थित है। उपस्थित मौतबिरान अनुसार उक्त आराजियात से रास्ता दिया जाना उचित है तथा उक्त आराजियात के खातेदार जडाव पुत्री प्रभुदास व उसके परिवार वालों ने रास्ता देने से मना कर दिया तथा लडाई–झगडा करने पर उतारू हो गये। उनको समझाया गया परन्तु वो रास्ता देने से मना कर दिया। मौका पर्चा बनाया गया। विपक्षी संख्या 01 की आराजी नम्बर 566 में से रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा 0.0092 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 567 में से रकबा 0.0408 हैक्टैयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.0500 हैक्टेयर एवं विपक्षी संख्या 02 की आराजी नम्बर 570 में से 0.0252 हैक्टैयर बनता है। इस प्रकार प्रस्तावित रास्तें का कुल रकबा 0.0752 हैक्टेयर बनता है। प्रस्तावित रास्तें को लाल स्याही से अंकित किया गया है। आराजी नम्बर 566 व 567 में से प्रस्तावित भूमि की डी0एल0सी0 दर 2,94,741 /– रूपये प्रति हैक्टेयर की दो गुणा राशि प्रस्तावित क्षैत्रफल की 29,474 /– डी0एल0सी0 की प्रति संलग्न की है एवं आराजी नम्बर 570 में से प्रस्तावित भूमि की डी0एल0सी0 दर 5,96,385 /– रूपये प्रति हैक्टेयर की दो गुणा राशि प्रस्तावित क्षैत्रफल की 30,056 /– डी0एल0सी0 की प्रति संलग्न की है विपक्षीगण को जारी नोटिस की प्रति संलग्न है। विपक्षी संख्या 01 का आपत्ति प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

प्रकरण में वादी एवं विपक्षी संख्या 01 अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त रिपोर्ट स्वीकार करते हुये वादी रास्ते की भूमि के बदले प्रचलित डी0एल0सी0 दर से भुगतान हेतु सहमत है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए आर0टी0ए0 का स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव्

–:: आदेश ::–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर निर्णय दिया जाता है कि की ग्राम पोण्डरास, पटवार हल्का रूपाहेली, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र दांथल तहसील व जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 627/6, 627/4, 627/5, 627/7 में आने जाने हेतु विपक्षी संख्या 01 की आराजी नम्बर 566 में से रकबा 0.0092 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 567 में से रकबा 0.0408 हैक्टैयर भूमि एवं विपक्षी संख्या 02 की आराजी नम्बर 570 में से रकबा 0.0252 हैक्टैयर भूमि कुल रकबा 0.0752 हैक्टैयर भूमि सार्वजनिक रास्ते हुत स्वीकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

आराजी 566 व 567 की वर्तमान डी.एल.सी.दर राशि– 2,94,741 /– रूपये प्रति हैक्टेयर की दो गुणा राशि प्रस्तावित क्षैत्रफल की 29,474 /– रूपये बनती है जो विपक्षी संख्या 01 को देय है एवं आराजी नम्बर 570 की वर्तमान डी. एल.सी.दर राशि– 5,96,385 /– रूपये प्रति हैक्टेयर की दो गुणा राशि प्रस्तावित क्षैत्रफल की 30,056 /– रूपये बनती है जो विपक्षी संख्या 02 को देय है को जरिये प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 01 व 02 के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट तहसीलदार भीलवाडा के समक्ष आवेदन के साथ पेश करने की अवस्था में उक्त राशि अदायगी हेतु तीस योम की अवधि का नोटिस जारी करे उक्त नोटिस की प्राप्ति के पश्चात अर्थात 30 दिवस की अवधि के भीतर भीतर विपक्षी उक्त रकम का डिमाण्ड ड्राफ्ट तहसीलदार भीलवाडा के प्राप्त करने हेतु जरिये आवेदन उपस्थित नही होता है तो ऐसी स्थिति में अविलम्ब उक्त बिलानाम गैर मुमकिन सार्वजनिक रास्ता राजस्व अभिलेख व हॉल नक्शा ट्रेस में अमल दरामद करे। इस रास्ते पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नही रहेगा केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी हो। नक्शा ट्रेस निर्णय का पार्ट रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा